आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
27/05/17	न्यायालय उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा। नामांतरण अपील वाद सं0 02/2014–15 तजमोल अंसारी वगै0 – अपीलार्थीगण बनाम नुरूलहक अंसारी वगै0 – प्रत्यार्थी आदेश अभिलेख उपस्थापित किया गया। यह अभिलेख अपीलार्थी के द्वारा नामांतरण वाद सं0 1682/2012–13 दिनांक 28.03.2013 में अंचल अधिकारी, गढ़वा द्वारा पारित ओदश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। विवादित जमीन ग्राम–टेढी हरैया के खाता न0–41, प्लॉट सं0–339, रकबा–0.45 एकड़ से संबंधित है। अपील आवेदन अंगीकृत किया गया एवं विपक्षी को नोटिस निर्गत कर निम्न न्यायालय का अभिलेख मांग किया गया। विपक्षी के द्वारा जवाब दाखिल किया गया एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है। यह वाद अपीलार्थी के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनके विज्ञ अधिवक्ता का बहस नहीं सुना गया। अपीलार्थी का अपील आवेदन पत्र का अवलोकन किया। अपीलार्थी का कहना है कि अंचल अधिकारी, गढ़वा नामांतरण वाद संख्या– 1682/2012–13 दिनांक 28.03.2013 में बिना तथ्य के गलत आदेश पारित किया है। अपील आवेदन पत्र में वर्णित वंशावली से स्पष्ट होता है कि विषयवस्तु वाली भूमि समिलात संपति थी जिसे मात्र रसीद अंसारी के द्वारा बिक्री कर दी गयी है जो गलत हुआ है। इसका विधिवत जांच किया जाता तो वंशावली के अंतर्गत आनेवाले सभी उतराधिकारियों से जानकारी हो जाती परंतु हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा सतही जांच एवं टेबल वर्क किया गया है जबकि यह जमीन हमारी शांतिपूर्ण दखल कब्जा की है इसलिए अंचल अधिकारी के द्वारा दिनांक 28.03.2013 को पारित आदेश को निरस्त किया गया। प्रत्यार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं लिखित जवाब का अवलोकन किया। उनके विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि पंचायत मियां के एक मात्र पुत्र अब्दुल गनी मियां हुए उनके पुत्र रसीद अंसारी के द्वारा विषयवस्तु वाली जमीन उतराधिकार में प्राप्त हुआ और जमाबंदी पंजी–2 के 87/1 पर कायम है एवं दखल कब्जा में है। पंजी–2 रैयत के द्वारा प्रश्नगत भूमि को विक्रय पत्र सं0 3939 दिनांक 01.08.2012 ई0 को पूर्ण मूल्य नगद भुगतान कर प्राप्त किया है तथा इस पर मेरा शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। यह नामांतरण वाद अंचल अधिकारी के द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाकर आदेश पारित किया गया है इसलिए अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाए। उभयपक्ष के लिखित जवाब एवं निम्न न्यायालय का अवलोकन किया। अपीलार्थी का लगातार अनुपस्थित रहना इस बात का द्योतक है कि अपीलार्थी को इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है एवं पंजी–2 रैयत के द्वारा ही भूमि की विकी विपक्षी के नाम से किया गया है।

P.N.144-
22-7-17

Scanned with CamScanner

अतः अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है।

निम्न न्यायालय का अभिलेख अंचल अधिकारी, गढ़वा को वापस भेजने का निदेश दिया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

27/05/17

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार
गढ़वा।

27/05/17

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार
गढ़वा।

Scanned with CamScanner